स्नेह–आंगन

(वन स्टॉप क्राईसिस मेनेजमेंट सेन्टर फॉर चिल्ड्रन)

द्वि–वार्षिक का प्रतिवेदन

28 जून 2014 से 31 दिसम्बर 2016

स्नेह–आंगन (वन स्टॉप क्राईसिस मेनेजमेंट सेन्टर फॉर चिल्ड्रन)
विशेष किशोर पुलिस इकाई, मानव तस्करी विरोधी इकाई,गांधी नगर महिला थाना
जयपुर (पूर्व) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर
इमेल– rihr.rajasthan@gmail.com, टेलीफोन– 0141–2700090,7568245423

स्नेह ऑगन

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) व जयपुर, पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर तथा युनिसेफ राजस्थान के सहयोग से **स्नेह–आंगन (वन स्टॉप क्राईसिस मेनेजमेंट फॉर चिल्ड्रन)** की शुरूआत 28 जून 2014 को महिला थाना जयपुर (पूर्व) में की गई। पुलिस आयुक्त श्री श्रीनिवास राव जंगा ने सेन्टर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्तालय से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

श्री विपिन पाण्डे, पुलिस उपायुक्त पुलिस जिला उत्तर श्री अशोक कुमार गुप्ता, यूनिसेफ राजस्थान के राज्य प्रमुख श्री सेमुअल, बाल कल्याण अधिकारी श्री संजय निराला, जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री रामप्रकाश बैरवा, पुलिस जिला जयपुर पूर्व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री शान्तनु कुमार, पुलिस जिला जयपुर पूर्व के सभी ए.सी.पी. व थानाधिकारी महोदय सहीत कई संस्थाओं व संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

स्नेह ऑगन की आवश्यकता

बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस संपर्क की प्रथम कडी के रूप में कार्य करती है, क्योंकि पुलिस का प्राथमिक कार्य आमजन को सुरक्षा प्रदान कर समाज में भयमुक्त वातावरण एवं संरक्षण प्रदान करना है। बच्चों के अधिकारों जिनमें उनकी गरिमा, हितों, अबोधपन, सुरक्षा, समानता, निजता तथा उनके प्रति समाज तथा परिवार की जिम्मेदारियॅा सम्मिलित हैं, के संरक्षण करने के लिये बल प्रयोग के स्थान पर पुलिस द्वारा स्वंय को उनके शुभचिन्तक मित्र के रूप में प्रस्तुत कर एक भयमुक्त वातावरण देने, उन्हें देश के कानून तथा वर्तमान परिपेक्ष्य में बदलती अपराधों की परिभाषाओं से अवगत कराने, उन्हें समाज से जोडने, गैर कानूनी कृत्य न करने तथा उत्कृष्ठ कार्य करने के लिये प्रेरणा का एक स्त्रोत बन सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में कई कारणों से बच्चे पुलिस के संम्पर्क में आते है। ऐसे में पुलिस का बच्चों के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना बेहद आवश्यक है। ऐसे बच्चों की कई प्रकार की आवश्यकताएं होती है, जैसे तात्कालिक देखभाल, संरक्षण, आश्रय, परामर्श एंव कानूनी मदद मुख्य है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति समन्वित प्रयासों से एक जगह पर सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है, इस प्रकार की सेवाएं ना केवल बच्चों के हित में है, बल्कि पुलिस कार्यवाही भी कम समय में सुनिश्चित की जा सकती है।

पुलिस आयुक्तालय, जयपुर बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं बच्चों से जुडे कानूनों के प्रभावी कियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कम में जिले में विभिन्न अपराधों के पीडित बच्चों (बाल श्रम, बाल विवाह, लैंगिक हिंसा इत्यादि से पीडित बच्चे), विधि से संघर्षरत किशोर एवं देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पुलिस हेतु निर्धारित कार्यो के निष्पादन एवं पुलिस के सम्पर्क में आने

बाले बच्चों को एक ही छत के नीचे आवश्यक सुविधाऐ उपलब्ध के लिए यूनिसेफ, राजस्थान व उनके सहयोगी संस्था रिर्सोस इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स, जयपुर से तकनीकी सहयोग महिला थाना (पूर्व), गांधी नगर, जयपुर में ''स्नेह–आंगन (वन स्टॉप क्राईसिस मेनेजमेंट सेन्टर फॉर चिल्ड्रन)'' स्थापित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त जयपुर पुलिस जिला (पूर्व) में मानव तस्करी मुख्यतः बाल तस्करी की रोकथाम हेतु गठित ''मानव तस्करी विरोधी यूनिट'' तथा किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत स्थापित ''विशेष किशोर पुलिस ईकाई'' जोकि बाल हितैषी प्रक्रिया के तहत विधि से संघर्षरत किशोर एवं बच्चों पर हो रहे अत्याचारों, उनके शोषण को रोकने, विधिक सहायता उपलब्ध कराने तथा स्वयंसेवी संगठनों, पंचायतों एवं सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने के लिए उत्तरदायी है, का कार्यालय भी इसी सेन्टर से संचालित किया जा रहा है।

यह सेन्टर सभी सम्बन्धित विभागों के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर बच्चों के मुद्‌दों पर कार्य करेगा। इस सेन्टर का कार्यालय समय सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक है। यह सेन्टर आश्यकतानुसार किसी भी समय अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्नेह–आंगन (वन स्टॉप क्राईसिस मेनेजमेंट सेन्टर फॉर चिल्ड्रन) के उद्देश्य एवं कार्य

1. जिले में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वन कॉन्टेक्ट पॉईन्ट के रूप में कार्य करना।
2. पुलिस के सम्पर्क में आने बाले बच्चों को एक ही छत के नीचे आवश्यक सुविधाऐ उपलब्ध करना।
3. पुलिस के संपर्क में आने वाले प्रत्येक बच्चे को बाल मैत्री वातावरण उपलब्ध कराकर उसकी समस्या का समाधान सुनिश्चत करना।
4. विधि से संघर्षरत किशोरों को अपराध से विमुख करने तथा इनमें अपराध की प्रवृति को रोकने के लिए कार्य करना।
5. कठिन परिस्थितियों में मौजूद बच्चों को विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से पहचान कर बाल संरक्षणात्मक वातावरण उपलब्ध करना।
6. विभिन्न अपराधों के पीडित बच्चों (बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह, लैंगिक हिंसा इत्यादि से पीडित बच्चे), विधि से संघर्षरत किशोर एवं देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के विभिन्न मुद्दों पर कार्य करना।
7. बच्चों को तात्कालिक आश्रय, काउंसलिंग, विधिक सहायता, मुआवजा के अतिरिक्त अन्य तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करना।
8. सभी सम्बन्धित विभागों के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना।

सेवाएं एवं भूमिका

1. बच्चों से जुडें मामलों का केस वर्क पर आधारित तकनीक पर कार्य करना।

2. स्नेह–आंगन (वन स्टॉप क्राईसिस मेनेजमेंट सेन्टर फॉर चिल्ड्रन) के उद्देश्यों एवं कार्यो की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
3. समस्त पुलिस थानों से समन्वय स्थापित कर बच्चों से जुडे मुद्दों पर नियमानुसार कार्यवाही, बाल मैत्री प्रक्रिया की पालना एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना।
4. बच्चों से जुडें विभिन्न मामलों में विभिन्न विभागों / संस्थाओं से पत्राचार करना।
5. कार्यालय पुलिस के सम्पर्क में आने वाले बच्चे / किशोर को सम्बन्धित बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने में सहयोग करना।
6. बच्चों के प्रकरणों में परिवीक्षा सेवाएं, परामर्श, सुरक्षित स्थान जैसी सेवाएं प्रदान करने और पुलिस को किशोर को पकड़े जाने के समय, किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं कथित अपराध के साथ–साथ जिन परिस्थितियों में किशोर को पकड़ा गया, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट तैयार करने तथा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष किशोर को प्रस्तुत किये जाने तक उसकी देखरेख करना।
7. बच्चों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में उनके परिजन एवं सभी संबंधितों को बुलाने तथा उन्हें आवश्यक सलाह उपलब्ध कराने संबंधी कार्य करना।
8. विभिन्न विद्यालयों एवं समुदाय स्तर पर बच्चों के अधिकारों एवं पुलिस सहभागिता के बारे में चर्चा / कार्यशालाएं / बैठकें आयोजित करना।
9. बाल भिक्षावृत्ति, बाल श्रम एवं बाल शोषण की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जाकर जागरूकता पैदा करना।
10. पीडित बच्चों के प्रकरणों में आवश्यकतानुसार संबंधित थाने के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक पुलिस कार्यवाही सुनिश्चत करना।
11. बच्चें के साथ किसी प्रकार का अत्याचार / हिंसा की सूचना मिलने पर उसे मुक्त करवा कर बच्चें को सुरक्षा प्रदान करने में सहयोग करना।
12. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बच्चों उनके परिवारजन को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना।
13. यह कार्यालय बाल कल्याण समिति / जिला बाल संरक्षण इकाई / किशोर न्याय बोर्ड / मानव तस्करी विरोधी यूनिट इत्यादि विभागों तथा अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर कार्य करना।
14. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों / दिशा–निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

स्नेह ऑगन (ओ.एस.सी.एम.सी.सी) की उपलब्धियॉ

28 जून 2014 से 31 दिसम्बर 2016 के दौरान

स्नेह ऑगन की स्थापना के उपरान्त से है अपने उद्देश्यों को लेकर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। इस दौरान इस सेन्टर के माध्यम से सर्व प्रथम पुलिस के अधिकारियों व थानों में नियुक्त बाल कल्याण अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके साथ ही समय – समय पर थाना स्तर पर पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद करना प्रारम्भ किया। 28 जून 2014 से 31 दिसम्बर 2016 की अवधि में सेन्टर पर विभिन्न प्रकार के 1578 बच्चों मामले आये, जिनको सात विभिन्न समूहो में बाटां गया। इनमें से 86 प्रतिशत (1350) बच्चे बाल श्रम से जुड़े हुए थे, जिसमें स्नेह आंगन,

मानव तस्करी विरोधी इकाई, पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा गठीत टास्क फोर्स ने मिल कर बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। 7 प्रतिशत (103) बच्चों के मामले ऐसे थे जिसमें मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ/पुलिस थाना/अन्य को बालक व बालिका लावारिस अवस्था में मिले या घर से भाग कर आये तथा पुलिस के सम्पर्क में आये इन सभी मामलों में बच्चों को सेन्टर पर लाकर बातचीत की गई तथा आवश्यक जानकारी एकत्रित की गई तथा बाल कल्याण समिति के माध्यम से बच्चों को सरकारी/संस्था द्वारा संचालित गृहों में अस्थाई प्रवेश दिलाया गया, तथा सेन्टर के स्तर पर माता–पिता से सम्पर्क कर बच्चों को माता–पिता को सूपुर्द करवाया गया। इनमें से दो बालिकाओं को थाना सिंधी कैम्प द्वारा लाया गया था जहॉ दो बालिकाएं जिनकी उम्र 16 व 17 साल की थी घर से भाग कर बस स्टैण्ड पर पुलिस को मिली थी जिन्हें पुलिस द्वारा स्नेह आंगन लाया गया बाद में बाल कल्याण समिति के माध्यम से माता–पिता को सूपुर्द कराया गया। बच्चों के साथ लैंगिक अपराध 23 मामले स्नेह आंगन में आये जिनमें में पिडिता व उसके परिजनों से स्नेह आंगन द्वारा सम्पर्क कर उनको चिकित्सीय सहायता व अन्य विविध सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग किया गया।

क्रम स.	केस का प्रकार	जुलाई 2014 से 31 मार्च 2015 तक	अप्रैल 2015 31 मार्च 2016 तक	अप्रैल 2016 से 31दिसम्बर 2016 तक				महायोग
				अप्रैल से जून 2016	जुलाई से सितम्बर 2016	अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2016	योग	
1	बाल श्रम	**301**	**832**	67	109	41	217	**1350**
2	बच्चों के लावारिस/गुमशुदा/अपहरण	**20**	**38**	20	1	24	45	**103**
3	बच्चों के साथ हिंसा	**5**	**5**	0	0	6	6	**16**
4	बच्चों के द्वारा अपराध	**5**	**7**	0	0	0	0	**12**
5	भिक्षावृति	**4**	**5**	0	18	12	30	**39**
6	बच्चों के साथ लैंगिक अपराध	**9**	**8**	1	2	3	6	**23**
7	अन्य	**14**	**12**	1	4	4	9	**35**
	योग	**358**	**907**	89	134	90	313	**1578**

1. पुलिस के साथ कार्य

इस सेन्टर के स्थापना के उपरान्त सर्वप्रथम आश्यकता थी कि पुलिस के अधिकारियों को इस सेन्टर के बारे में तथा कार्य, उद्देश्यों तथा भुमिका के बारे में अवगत कराया जाये। 26 जुलाई 2014 को पुलिस उपायुक्त, कार्यालय जयपुर पूर्व सभी सम्बंधित थाना अधिकारियों एस.आई., व सम्बंधित अधिकारियों के साथ कार्यशाला आयोजित की जिसकी अध्यक्षता श्री अमनदीप कपूर (डी.सी.पी.) ने की। इस अवधि के दौरान जुलाई 2015 व जनवरी 2016 में आपरेशन मुस्कान व आपरेशन स्माईल–2 चलाया गया था। इसके तहत जयपुर जिले के चारों पुलिस जिलो में पुलिस के सहयोग से कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

इसमें सम्बन्धित जिले के पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, बाल कल्याण अधिकारी, थानाधिकारी, ने भाग लिया। पुलिस जिला स्तर आयोजित कार्यशालाओं में राज्य बाल आयोग के सदस्य श्री गोविन्द बेनीवाल, श्री राधाकान्त सक्सेना जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व जिला किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों ने संदर्भ व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

इन कार्यशालाओं में आपरेशन मुस्कान व आपरेशन स्माइल के दौरान किये जाने वाले कार्य, पुलिस अधिकारियों की भुमिका जे.जे. एक्ट 2000 तथा जिला बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड व स्नेह आगन की भुमिकाओं के बारे में बताया। बच्चों की तस्करी से सुरक्षा प्रदान करने हेतु जो कानून बनाया गया है उसके बारे में विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी देते हुए प्रोटेन्शन/प्रिवेन्शन के के बारे में बताया गया।

आपरेशन स्माईल–2 के दौरान जयपुर पूर्व के आपरेशन के थाना स्तर के प्रभारियों के साथ चर्चा

स्नेह ऑगन द्वारा समय–समय पर थानों में आये बच्चों से सम्बन्धित प्रकरणों में थाने के बाल कल्याण अधिकारियों/जॉच अधिकारियों को सहयोग करने का काम किया। इसमें बच्चों को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत कर उनको देखभाल व संरक्षण के लिए बाल गृह में भिजवाना, बच्चों के विरूद्ध अपराध करने वाले नियोक्ताओं आदि के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में परामर्श उपलब्ध कराना आदि मुख्य है। रामगंज थाने द्वारा रात्रि को एक बालक को तस्कर से मुक्त कराया गया था थाने ने सेन्टर से सम्पर्क किया सेन्टर के कार्यकर्त्ता थाने में जाकर बालक को बाल कल्याण समिति से आदेश लेकर किशोर गृह में अस्थाई प्रवेश दिलाया तथा तस्कर के बताये पते पर बालक के परिजनों से सम्पर्क कर बालक को माता–पिता को सूपूर्द कराने में सहयोग किया।

इसी प्रकार अन्य थानों से समय पर लावारिस/गुमशुदा बच्चों को सेन्टर पर लाया गया इन बच्चों को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत कर उनको देखभाल व संरक्षण के लिए बाल गृह में भिजवाना, बच्चों के विरूद्ध अपराध करने वाले नियोक्ताओं आदि के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में परामर्श उपलब्ध कराना आदि मुख्य है।

स्नेह ऑगन द्वारा समय–समय पर थानों में आये बच्चों से सम्बन्धित प्रकरणों में थाने के बाल कल्याण अधिकारियों/जॉच अधिकारियों को सहयोग करने का काम किया। इसमें बच्चों को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत कर उनको देखभाल व संरक्षण के लिए बाल गृह में भिजवाना, बच्चों के विरूद्ध अपराध करने वाले नियोक्ताओं आदि के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में परामर्श उपलब्ध कराना आदि मुख्य है। थाना गांधी नगर ने फोन पर सुचित किया कि रेशमा उम्र – 7 साल व अनिल उम्र – 15 साल के दो बच्चों को दुर्लभ जी अस्पताल में किसी की जेब तराशी के आरोप में गांधी नगर थाने में लाया गया है। सेन्टर के काउन्सलर व कार्यकर्ता थाने में जाकर बच्चो से तथा थानाधिकारी से मिले। थानाधिकारी के साथ चर्चा करने के उपरान्त दोनों बच्चों को सेन्टर पर लाया गया जहॉ बच्चों के साथ काउन्सलिंग की गई।

2. बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराना व उनका पुर्नवास करना

सेन्टर के माध्यम से पुलिस के सहयोग से बाल श्रम में लगे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुक्त कराकर उनका पुर्नवास करने का कार्य किया गया तथा नियोक्ताओं के विरूद्ध विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज कराया गया। इस अवधि में जयपुर शहर के चारों पुलिस जिलों से 1350 बच्चों को स्नेह आंगन के सहयोग से मुक्त कराकर उनके माता–पिता को सुपूर्द कराया गया। इसमें आपरेशन मुस्कान के तहत माह जुलाई 2015 में 310 बच्चों को तथा माह जनवरी में आपरेशन स्माइल–2 जनवरी 2016 में 262 बच्चों को मुक्त कराया गया।

दिनांक 22/7/2015 को कोतवाली थाना क्षेत्र से मुक्त कराये गये 15 बाल श्रमिको व 24/7/2015 को 21 बच्चों स्नेह आंगन सेंटर पर लाया गया ये सभी बच्चे बिहार राज्य के थे ये सभी बच्चे यहॉ पर चुड़ी बनाने के काम के लिए लाए गये थे तथा इन बच्चो से 12–14 घंटे काम कराया जाता था। इसी क्रम में 13 जनवरी 2016 को मानव तस्करी विरोधी इकाई उत्तर के सहयोग से भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र से 19 बाल श्रमिको को, 23 जनवरी को बस्सी थाना क्षेत्र से 7 बच्चों मुक्त कराकर स्नेह आंगन सेंटर पर लाए गया। सेंटर के कार्यकर्ता व कांउंसर ने बच्चो से बातचीत की व बच्चो को उनके अधिकारो के बारे में बताया व पढाई के महत्व को समझाया। बच्चो से उनके परिवार की स्थिति के बारे में काम के बारे में, ठेकेदार आदि के बारे में बातचीत की गई। सेंटर पर आकर बच्चो को बहुत अच्छा लग रहा था उन्हे अपनापन जैसा महसूस हो रहा था अधिकाशं बच्चे अपने आप को स्वतन्त्र महसूस कर रहे थे। बच्चों को सेंटर पर नाश्ता व खाना खिलाकर सी.डब्ल्यु.सी. के आदेश के अनुसार अलग–अलग बाल गृहों में भेजा गया।

इन मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को इनके निवास स्थान पर भेजने के लिए जिला प्रशासन, जिला बाल कल्याण समिति व जिला बाल संरक्षणं इकाई के सहयोग से इनके गृह राज्य में भेजने की कार्यवाही की गई तथा इन सभी बच्चों को जिला प्रशासन की मदद से बंधुआ श्रम उन्नमुलन कानून 1976 के तहत बंधुआ श्रमिक मानते हुए बंधुआ श्रम अवमुक्ति प्रमाण पत्र जारी करवाकर सम्बन्धित राज्यों के अधिकारियों को सूपूर्द करवाया गया।

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान सेन्टर की मदद से 277 बच्चों को जयपुर जिला प्रशासन की मदद से अवमुक्ति प्रमाण पत्र जारी करवाये गये। इस क्रम में दिनांक 5 मई 2015 को 7 बालकों, झारखण्ड, 5 मई 2015 को 47 बालकों को बिहार, तथा 28 जुलाई को 12 बच्चों को झारखण्ड भेजा गया। 10 अगस्त 2015 को 157, 11 दिसम्बर 13 व 2 मार्च 2016 को 41 बच्चों को बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ जयपुर से, उनके निवास स्थान पर भेजा गया इनके साथ संस्था के दो साथी भी साथ में गये जहॉ इन्होने बच्चों को सुरक्षित घर वापसी में सहयोग किया। इसनें साथ राजस्थान पुलिस के 4 से 8 कान्स्टेबल भी बिहार तक गये। जिला प्रशासन ने इन सभी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए रेल में अलग से कोच की व्यवस्था करवाई तथा सेन्टर व अन्य संस्थाओं की मदद से रास्ते के लिए खाना–पानी आदि की व्यवस्था की गई।

जिन बच्चों के माता–पिता जयपुर में ही रहते थे या अन्य राज्यों से बच्चों के माता–पिता अपने बच्चों के लेने जयपुर आ गये थे उनको सेन्टर पर बुलवा कर उनके साथ चर्चा की गई उनकी आर्थिक स्थिति तथा बच्चों को काम करना से होने वाले नुकसान तथा बच्चों को की शिक्षा की आवश्यकता के बारे में बताया गया तथा भविष्य में तब तक बालक 18 साल की आयु पुरी नहीं करता किसी भी प्रकार से काम नहीं कराने की हिदायत दी तथा बाल कल्याण समिति के माध्यम से बच्चों को उनके सूपूर्द करवाया।

3. बच्चों के गुमशुदा/अपहरण/लावारिस हालात में बच्चा

सेन्टर पर इस अवधि के दौरान बच्चों के गुमशुदा होने बच्चों के अपहरण होने व लावारिस हालत में बच्चों के 103 मामलों आये। इनमें से 3 मामले बच्चों के गुमशुदा होने के थे। इन तीनों मामलों में दो मामले में बालिका परिजनों ने सेन्टर पर आकर सम्पर्क कर जानकारी दी इस पर सेन्टर के माध्यम से सी.डब्ल्यु.सी से सम्पर्क किया गया तथा बालिकाओं के बारे में जानकारी ली गई सी. डब्ल्यु.सी के रिकार्ड के अनुसार दोनों बालिकाओं को देखभाल व संरक्षण के लिए संस्थाओं द्वारा संचालित बाल गृह में रखा होना पाया गया इस पर संस्थाओं से सम्पर्क किया दोनों बालिकाओं को की पहचान करवा कर बालिकाओं को उनके परिजनों को सुपूर्द करवाया गया।

4 जुलाई को 10 वर्ष के बालक मनोज की माता को एक व्यक्ति सेन्टर पर लेकर आया। बालक की माता गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर खिलोने बेचने का करती है। 4 तारीख

सेफी को उसके माता–पिता से मिलवाया।

13 साल का बालक सेफी बिहार राज्य के शेखपुरा जिला का रहने वाला था। दिनांक 16 अक्टूबर को आमेर थाने के कांस्टेबल को लावारिस सडक पर मिला। कांस्टेबल बच्चे को लेकर सेन्टर पर आ गया। सेन्टर पर बच्चे की काउन्सिलिंग की गई। बालक अपने आपको शेखपुरा जिले के शेखपुरा गॉव का रहने वाला बता रहा था। उसी के गॉव का एक व्यक्ति उसे मोबाइल का लालच देकर चूड़ी के कारखाने में काम करवाने लगा। वहॉ से बालक भाग कर सड़क पर आ गया। बच्चे की सूचना के आधार पर शेखपुरा जिले के एस.पी को सूचित किया तथा थाना शेखपुरा को पुरा प्रकरण बताया। मालुम हुआ कि बालक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज है। बालक के माता–पिता से सम्पर्क किया तथा बालक की बात करवायी गई। 26 अक्टुबर को बालक के पिता शेखपुरा से आकर बच्चे को अपने साथ लेकर गये।

की सुबह ही बालक अपनी मॉ को बिना बताये चला गया था इस सम्बन्ध में मॉ बच्चे को खोजती सेन्टर पर आयी। सेन्टर ने थाना बजाज नगर को सम्पर्क कर बच्चे के बारे में जानकारी दी। एक–डेढ घंटे बाद थाने से फोन आया कि एक बालक को पुलिस टोंक रोड़ से लेकर आयी है। बालक की मॉ को थाने ले जाकर बच्चे की पहचान करायी गई बालक को उसकी मॉ के सुपूर्द करवाया गया। इसी प्रकार दिनांक 29 दिसम्बर को गांधीनगर की चेतक गाडी को नदीम नाम का बालक राम बाग चौराहे पर मिला। चेतक बालक को सेन्टर पर लेकर आ गई। बालक से प्रारम्भिक पुछताछ में पता चला की वह दिल्ली का रहने वाला है। दिल्ली के बताये पते के आधार पर उसके सम्बन्धित थाने की तलाश कर थाने के माध्यम से उसके परिजनों का पता लगवाया गया। इस दौरान बालक को सी.डब्ल्यु.सी के माध्यम से टाबर बाल बसेरा में देखभाल एवं संरक्षण के लिए रखवाया गया। बालक के पिता दिल्ली से लेने उसे आये तो मालुम पडा कि बालक को उसके बड़े भाई जो जयपुर में ही रहता है उसके पास भेजा था बालक वहॉ से भाग कर रामबाग चौराहे पर आ गया था।

4. बच्चों के साथ हिंसा

सेन्टर पर बच्चों के साथ हिंसा के 16 मामले आये। इनमें तीन मामलों में बच्चों के पिता द्वारा शराब पीकर मारपीट करने के थे तथा दो मामले अन्य व्यक्तियों के द्वारा सार्वजनिक स्थल पर मारपीट करने के थे। बच्चों के पिता द्वारा शराब पीकर मारपीट करने के मामले में बच्चों की माता बच्चों के साथ सेन्टर पर आयी थी। माता की शिकायत के आधार बच्चों के पिता को सेन्टर पर बुलवाया गया तथा उनसे बातचीत की गई, तथा सम्बन्धित थाने के माध्यम से पिता को बच्चों के साथ मारपीट नही करने के लिए पाबन्द करवाया करवाया गया तथा दुबारा शिकायत मिलने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा गया।

बच्चों से चोरी करवाने वाले गिरोह का पहचाना

थाना चोमूं द्वारा एक 14 साल के बालक को सेन्टर पर लेकर आई। पुलिस का कहना था कि बालक बैंक के बाहर एक आदमी के जेब काटने का प्रयास कर रहा था। बालक के साथ सेन्टर पर बातचीत की गई तो पता चला कि बालक मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के कडियॉ सांसी गॉव का रहने वाला है, तथा उसकी माताजी पुराने कपड़े बेचने का काम करती है। बालक के बताये नम्बर पर सम्पर्क कर बालक के बारे में जानकारी ली गई तो बालक की माता जी सेन्टर पर आई। सेन्टर द्वारा माताजी का पहचान पत्र मांगा तो उसने अपना आधार कार्ड दे दिया। इस बारे में जब उसे बताया गया तो वह ग्राम पंचायत पचौर व थाना पचौर के प्रमाणित दस्तावेज लेकर आ गई। सेन्टर द्वारा मॉ द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजों की सत्यता की जॉच थानाधिकारी पचौर व ग्राम पंचायत के सरपंच से करवायी गई तो जानकारी मिली की महिला ने जो दस्तावेज उपलब्ध कराये है वह सब नकली है तथा गॉव के ही किसी व्यक्ति ने तेयार कर के दिये है। इस पुरी जानकारी को सी.डब्ल्यु.सी. को बता कर बालक को किसी अन्य को सौंपने की बजाय सी.डब्ल्यु.सी. राजगढ को सौपंने का निवेदन किया। इस पुरी जानकारी को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग क साथ साझा कर कार्यवाही करने करवाने का अनुरोध किया गया।

एक मामला आमेर थाना इलाके से आया जहॅा 10 साल का बालक लावारिस अवस्था में मिला जिसे बाल कल्याण समिति के माध्यम से किशोर गृह में अस्थाई प्रवेश दिलाया गया था। सेन्टर के काउन्सलर द्वारा जब बच्चे से बातचीत की तो पता चला उसे उसकी मॉ के द्वारा अपने रिश्तेदार के साथ जयपुर भेजा था, उस रिश्तेदार ने बच्चे को चुड़ी के कारखाने में काम पर लगा दिया। कारखाना मालिक बच्चे के निरन्तर मारपीट करता था जिसकी वजह से वह वहॉ से भाग कर आ गया था। सेन्टर द्वारा मानव तस्करी विरोधी इकाई उत्तर व चाइल्ड लाइन के सहयोग से बच्चे के बताई निशानदेही पर नियोक्ता की खोज की तथा नियोक्ता के खिलाफ कार्यवाही करवाने के लिए सी.डब्ल्यु.सी को निवेदन किया।

5. बच्चों के द्वारा अपराध

इस अवधि में 12 मामले स्नेह ऑगन में आये जहॅा बच्चों द्वारा अपराध किये जाने की बात सामने आई। एक मामले में बालक द्वारा जेब–तराशी का मामला था जबकि दुसरे मामले बालक द्वारा विवाह समारोह में पर्स चोरी का मामला था। गांधी नगर थाने द्वारा सेन्टर को सूचित किया था कि रेशमा उम्र – 7 साल व अनिल उम्र – 15 साल के दो बच्चों को दुर्लभ जी अस्पताल में किसी की जेब तराशी के आरोप में गांधी नगर थाने में लाया गया है। सेन्टर के काउन्सलर व कार्यकर्ता थाने में जाकर बच्चो से तथा थानाधिकारी से मिले। थानाधिकारी के साथ चर्चा करने के उपरान्त दोनों बच्चों को सेन्टर पर लाया गया जहॅा बच्चों के साथ काउन्सलिंग की गई तथा दुलर्भ अस्पताल की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। बालिका रेशमा को देखभाल व संरक्षण के लिए सी.डब्ल्यु.सी के माध्यम से बालिका गृह में रखा गया। दूसरे दिन सेन्टर के कार्यकत्ताओं ने लक्ष्मी मंदिर वाली जगह पर तलाश की। वहॅा अनील का परिवार मिल गया। आस–पास के लोगों से बातचीत करने पर तो ज्ञात हुआ कि यह परिवार काफी समय से यहॅा रह रहा है तथा कचरा बीनने व भीख मांगने का काम करता है। बालक अनील के साथ एक आदमी रहता है जो उनके परिवार का नहीं है ये आदमी ही अनील से इस प्रकार का काम करवाता है।

6. भिक्षावृति में लिप्त बच्चे

मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ जयपुर (पूर्व) सेन्टर के सहयोग से सडकों/चौराहों आदि पर भिक्षवृति करते हुए 39 बच्चों को मुक्त कराया गया इन सभी बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर बच्चों के माता–पिता को बच्चों से भिक्षावृति नहीं कराने के लिए पाबन्द करवाया गया। कार्यकर्ता को जानकारी मिली थी कि दो बालक व एक बालिका नेहरू पार्क टोंक फाटक पर भिक्षावृत्ति कर रहे थे। सेन्टर के साथियों ने बच्चों से बातचीत की तो उन्होने बताया कि उनके माता/पिता के मरने की बात कह रहे थे। सेन्टर कार्यकर्ता बच्चों को स्नेह आंगन लेकर आ गये। स्नेह आंगन के काउन्सलर ने बच्चों से बातचीत की तो जानकारी मिली की बच्चे सांगानेर पुलिया के नीचे रहते है तथा रोज नेहरू पार्क मे आकर भिक्षावृत्ति करते है। बच्चों को सेंटर पर नाश्ता व खाना खिलाकर बालक को देखभाल व संरक्षण के लिए सी.डब्ल्यु.सी के माध्यम से किशोर गृह व बालिका गृह में भिजवाया गया। बच्चों के बताये स्थान पर जाकर बच्चों के परिजनों की तलाश की गई तथा थाना

सांगानेर के माध्यम से बच्चों के परिजनों की वास्तविकता के बारे में जानकारी करवायी गई, बच्चों के परिजन सांगानेर पुलिया के नीचे रहना पाये गये, बच्चों के माता–पिता मजदूरी करते है सुबह सवेरे ही काम करने चले जाते है तथा शाम को वापस आते हैं इस दौरान बच्चे इधर–उधर भीख मॉग कर अपना पेट भरते है। बच्चों के माता–पिता को सेन्टर पर बुलवाया गया तथा बच्चों को विद्यालय में नामांकन करवाने के लिए प्रेरित किया।

7. बच्चों के साथ लैंगिक अपराध

बालिकाओं के साथ यौन हिंसा के 23 केस इस अवधि के दौरान सेन्टर पर आये।

एक केस दिसम्बर में सेन्टर पर आया जो गांधी नगर थाने से सम्बन्ध था। जून 2014 में बालिका के पिता द्वारा थाने में अपने ही परिचित के विरूद्ध दर्ज करवाया गया था, उनका आरोप था कि परिचित व्यक्ति द्वारा बालिका को भहला–फुसला कर उसके साथ यौन हिंसा करता है। बालिका के पिता का मानना था कि पुलिस उनके मामले में आरोपी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। इस केस में सेन्टर द्वारा केस के जॉच अधिकारी के साथ चर्चा की तथा उच्च अधिकारियों के केस के बारे में अवगत करवाया गया तथा अभियुक्त को गिरिफ्तार करने का अनुरोध किया।

चार अन्य मामलों में भी 10 साल से कम उम्र की बालिकाओं के साथ उनके पडोसी/रिश्तेदार/जानकार द्वारा बालिका के साथ यौन हिंसा करने का प्रयास किया। ये सभी मामलों सम्बन्धित थानों द्वारा स्नेह आंगन को भेजे गये। माह जून में 5–6 साल की बालिका के साथ पडोस में रहने वाले नाबालिक बालक द्वारा यौन शोषण का मामला आया जहॉ सेन्टर के हस्तक्षेप से बालिका को जे.के. लोन अस्पताल में इलाज की व्यवस्था करवाई गई। इसी प्रकार के दूसरे मामले में सेन्टर के हस्तक्षेप से बालिका व उनके परिजनों को मदद पहुचाई गई।

इसी प्रकार सांगानेर में बालिका के साथ यौन शोषण की घटना हुई थी इसमें पिडित बालिका को पिड़ित प्रतिकार योजना के तहत मुआवजा नहीं मिल रहा था। सेन्टर के सहयोग से बालिका के मामले को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामने रखा गया तथा बालिका को मुआवजा दिलवाने में सहयोग किया गया।

8. अन्य प्रकार के मामले

उक्त अतिरिक्त स्नेह आंगन में 35 अन्य मामले आये। इसमें से 3 मामले राजकीय बालिका गृह से आये। जहॉ इस गृह में विगत एक वर्ष से रह रही 3 बंगलादेशी बालिकाओं की घर वापसी का है, इसमें संस्था के काउन्सलर द्वारा बालिका गृह में बालिकाओं के साथ बातचीत की तथा उनके बताई जानकारियों को जिला पुलिस उपायुक्त पूर्व को अवगत कराया। साथ ही दिल्ली में अर्न्तराष्ट्रीय मूद्दों पर काम करने वाली संस्था 'शक्ति वाहीनी से सम्पर्क कर पूरे केस की जानकारी दी, तथा उनके माध्यम से बंगलादेश उच्चायोग से बालिकाओं की टेलीफोन पर बातचीत करवायी। साथ ही दो बालिकाओं के साथ अदालत में चल रहे मामले के लिए दिल्ली की ही एक अन्य संस्था जस्टीस एण्ड केयर से सम्पर्क

कर उनको कानूनी सहायता प्रदान करवायी गई। 4 मामले मुम्बई की एक संस्था द्वारा वहाँ के बीयर बार से मुक्त कराई 4 बालिकाओं जो कि चाकसू कस्बे के रहनी वाली थी उनके परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी माँगीं गई थी। इसमें सेन्टर के कार्यकर्ताओं द्वारा चाकसू जाकर बालिका के परिजनों व आस–पास के लोगों से बात की तथा सारी जानकारी को मुम्बई की संस्था को अवगत कराया। भांखरोठा क्षेत्र से एक बालिका के परिजनों ने सीधे ही सेन्टर पर आये। उनके अनुसार स्कूल प्रबन्धक उनकी बेटी को अपने घर पर बुलाकर घर का सारा काम करवाता था, जब बालिका ने स्कूल प्रबन्धक से 10 वीं अंक तालिका तथा टी.सी. मांगी तो उसने देने से मना कर दिया इस कारण बालिका अन्य जगह पर प्रवेश नहीं ले सकी। स्कूल प्रबन्धक को सेन्टर पर बुलाया गया तथा पूरी जानकारी प्राप्त कर तथा बालिका को टी.सी. व मार्क शीट देने के कहा गया। स्कूल प्रबन्धक द्वारा बिना किसी फीस के बालिका को अंक तालिका तथा टी.सी. दे दी।

9. विद्यालयो में बालिकाओं के साथ चर्चा।

बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के साथ बाल अधिकारों व स्नेह आंगन की भुमिका आदि के बारे में दो विद्यालयों में जाकर बालिकाओं से चर्चा की गई इस दौरान स्नेह आंगन की काउन्सलरों द्वारा बालिका माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर व बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर में दिनांक 14 नवम्बर 2014 को कार्यशाला का आयोंजन किया गया।

10. अन्य विभागों के साथ समन्वयन

स्नेह आंगन द्वारा जिला प्रशासन, मानव तस्करी विरोधी इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड व चिकित्सा विभाग के साथ समन्वयन का कार्य किया गया।

10.1 जिला प्रशासन

स्नेह आंगन द्वारा जिला प्रशासन द्वारा 27 दिसम्बर 2014 को बाल श्रम व बाल भिक्षावृत्ति पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला के आयोजन के दौरान स्नेह आंगन के ओर से सहयोग प्रदान किया गया तथा बाल श्रम व बाल भिक्षावृत्ति पर स्नेह आंगन की भुमिका के बारे में जानकारी दी। साथ जयपुर से समय–समय पर मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को सुरक्षित घर वापसी करवाना तथा जिला प्रशासन द्वारा बच्चों को बंधुआ श्रम अवमुक्ति प्रमाण पत्र जारी करवाने में भी सेन्टर द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

10.2 मानव तस्करी विरोधी इकाई

स्नेह आंगन जिले की विभिन्न मानव तस्करी विरोधी इकाई जिनमें जयपुर पूर्व, जयपुर उत्तर व जयपुर पश्चिम प्रमुख है, के साथ मिल कर बाल श्रम में लिप्त बच्चों को मुक्त कराने का कार्य किया है। इस दौरान अन्य राज्यों से तस्करी कर लाये बच्चों को मुक्त कराकर सरकार के माध्यम से उनके

पुर्नवास की कार्यवाही की गई। अवधि के दौरान सेन्टर व मानव तस्करी विरोधी इकाई के साथ मिलकर 50 से अधिक कार्यवाही कह गई।

जयपुर पूर्व के साथ मानव तस्करी विरोधी इकाई व सेन्टर एक साथ ही कार्य कर रहे है। स्नेह आंगन द्वारा मानव तस्करी विरोधी इकाई पूर्व के साथ मिलकर माह अगस्त में मालवीया नगर थाने की मदद से कार्यवाही कर जगतपुरा पुलिया के नीचे से पॉच बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। सितम्बर 2014 को मानव तस्करी विरोधी इकाई पूर्व के सहयोग से मालवीय नगर थाना क्षेत्र के अर्न्तगत सत्कार शोंपिग सेंटर मालवीय नगर से 12 बाल श्रमिको को मुक्त कराकर स्नेह आंगन सेंटर पर लाए गया। नवम्बर 2014 में एल.बी.एस. कालेज के सामने से पॉच बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। इकाई व सेन्टर द्वारा विभिन्न जगहों पर भिक्षावृत्ति में लिप्त 4 बच्चों को सेन्टर पर लाया गया तथा इकाई की सहयोग से जिला बाल कल्याण समिति में सुपूर्द करवाया गया।

स्नेह आंगन द्वारा मानव तस्करी विरोधी इकाई उत्तर के साथ मिल इस अवधि के दौरान थाना श्रेत्र भट्ठा बस्ती, कोतवाली, बृहमपुरी, रामगंज में कार्यवाही कर बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराने का काम किया गया इस दौरान जयपुर उत्तर से 150 से अधिक बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।

इस अवधि के दौरान मानव तस्करी विरोधी इकाई पश्चिम के साथ 7 कार्यवाही की गई। इस दौरान 35 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।

10.3 बाल कल्याण समिति

स्नेह आंगन बाल कल्याण समिति के साथ मिल कर कार्य करती है। स्नेह आंगन में आने वाले हर बच्चे को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत कर उन्हे देखभल व संरक्षण के लिए बाल गृहों में प्रवेश दिलवाया जाता है। साथ ही समय–समय पर बच्चों को माता–पिता के सुपूर्द कराने से पूर्व उनके साथ चर्चा की जाती है, बच्चों को माता–पिता को सुपूर्द करने की कार्यवाही में सहयोग प्रदान किया जाता है। अन्य राज्यों के बालकों को सम्बन्धित राज्य के सम्न्वयन स्थापित कर बच्चों को सुपूर्द कराने की कार्यवाही में सहयोग प्रदान किया जाता है।

10.4 जिला बाल संरक्षण इकाई

स्नेह आंगन जिला बाल संरक्षण इकाई जयपुर के साथ समन्वय करके अन्य राज्य के बच्चों को सुरक्षित घर वापसी के लिए भी राज्य के साथ समन्वयन करने, पत्र व्यवहार करने, बाहर से आने अधिकारियों के लिए व्यवस्था में सहयोग करने का काम किया गया। साथ बच्चों का डेटा–बेस तैयार कर अपलब्ध कराये गये।

10.5 चिकित्सा विभाग के साथ समन्वयन

सेन्टर द्वारा मुख्य जिला चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के साथ समन्वय के जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों से मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों का पुलिस द्वारा करायी जाने वाली चिकित्सीय जाचॅ में आ रही समस्याओं का समाधान करने के विभाग के साथ बैठके कर बच्चों की चिकित्सीय जॉच जहॉ

बालक को देखभाल व संरक्षण के रखा जाता है उसके निकटतम अस्पताल में कराने की व्यवस्था की गई इससे सम्बन्धित थाना क्षेत्र के जॉच अधिकारी व संस्था को अच्चों को अन्य जगहों पर ले जाने में होन वानी परेशानियों से राहत मिली।

स्नेह आंगन द्वारा मामलों की समीक्षा

स्नेह ऑगन में आने वाले प्रत्येक केस की अलग अलग फाइल तैयार की जाती है। तथा उसकी नियमित अन्तराल के बाद समीक्षा की जाती है। पिड़ित बच्चे व उसके परिजनों के साथ संवाद किया जाता है। इस सबको उनकी फाइल में दर्ज किया जाता है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निरीक्षण

राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती गुरजोत कौर व सदस्य सचिव श्रीमती संतोष यादव बाल आयोग के सदस्य श्री गोविन्द बैनीवाल तथा उपायुक्त महोदय द्वारा दिनांक 28 सितम्बर को सेन्टर का अवलोकन किया तथा सेन्टर के कार्यकत्ताओं के साथ सेन्टर के कार्य के बारे में जानकारी ली गई तथा सभी के साथ विस्तार से सेन्टर के काम काज, बच्चों के साथ की जाने वाली कार्यवाही, पुलिस का सहयोग आपसी सामन्जस्य तथा काम में आ रही कठीनाईयों के बारे में विस्तार से चर्चा की। सेन्टर को ओर अधिक प्रभावी बनाने तथा प्रत्येक जिले में इस प्रकार के सेन्टर को खोलने की आवश्यकता बताई। अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त महोदय, व सेन्टर व संस्था के प्रभारी के साथ विस्तार से चर्चा कर इसे अन्य जगहों पर खोलने के लिए सरकार से सहयोग आदि के बारे में भी चर्चा की गई।

अमेरिका के छात्रों के दल का स्नेह आंगन का भ्रमण

एक्शनएड् राजस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय की राज्य समन्वयक सुश्री शबनम अजीज के साथ अमेरिका की विभिन्न संस्थाओं के 10 छात्रों का प्रतिनिधि मण्डल 21 जुलाई को स्नेह आंगन में आया तथा उसने इस सेन्टर के बारे में जानकारी ली। मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ट के साथियों से बातचीत की तथा महिला थाना के गतिविधियों के बारे में थाना अधिकारी से चर्चा की। प्रतिनिधि मण्डल ने सेन्टर के कार्यवाही के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा पुलिस के साथ मिल कर किये जा रहे कार्यो के बारे में जाना।

मणीपाल यूनिर्वसिटी के छात्रों का स्नेह आंगन आना

दिनांक 28 अक्टूबर 2015 को मणीपाल विश्वविद्यालय बैंगलोर कर्नाटका के एम.एस.डब्ल्यु. पाठ्यक्रम के प्रथव व द्वितीय के 37 बच्चों का एक दल प्रोफेसर लीना के नेतृत्व में स्नेह आंगन में आया। दल में

शामिल छात्रों ने सेन्टर के बारे में तथा कार्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ व महिला थाना के अधिकारियों से चर्चा की तथा काम के बारे में जानकारी ली।

इसके अतिरिक्त बच्चों के साथ काम करने वाली विभिन्न संस्थाएं तथा पुलिस की विभिन्न एजेन्सियों के पद्धाधिकारी, प्रशिशु अधिकारियों द्वारा सेन्टर का अवलोकन किया।

स्नेह आंगन की कुछ झलकिंया